प्रेषक,

अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

सेवा मे,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल।

पत्रांक / सेवा0अराज0 / 4971-84 /3 ख (4) / विविध / 2022-23 दिनांक 22 दिसम्बर 2022

विषयः- ***लिपिक वर्गीय कार्मिकों का स्थायीकरण किये जाने के संदर्भ में।***

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या-35879 / xxiv-B-1 / 2022-09 (05) / 2020 दिनांक 19 मई 2022 के द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्तमान एवं पूर्व मे कार्यरत रहे शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर "सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002" एवं "कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1070 / xxxii/2007 दिनांक 04 जुलाई 2017 के प्राविधानानुसार स्थायीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन के उक्त पत्र एवं "सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002" के कम में गढ़वाल ऐसे मण्डलान्तर्गत मिनिस्ट्रियल कार्मिक, जिनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2022 तक परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो, का स्थायीकरण किया जाना है, जिस हेतु निम्नांकित अभिलेख वांछित हैं:-

1. **निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र**
2. **(1) विगत पांच वर्षो की गोपनीय आख्या (यदि सेवा 05 वर्ष से अधिक है)**
   (2) कुल की गई सेवा के वर्षो की गोपनीय आख्या (यदि सेवा 05 वर्ष से कम है)
3. **विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र**
4. **मा0 न्यायालय में वाद न चलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र**
5. **प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने सम्बन्धी प्रमाण पत्र**
6. **अवैतनिक अवकाश पर न रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र**
7. **सेवा अवधि में दीर्घावकाश / अर्द्धवेतन अथवा अन्य अवकाश पर रहे हों तो विवरण उपलब्ध कराया जाय। यदि उक्त अवकाशों पर नहीं रहें तो अवकाश पर न रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र**
8. **प्रथम नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण आदेश की प्रमाणित छायाप्रति**

अतः अपने-अपने जनपद के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों को उक्तानुसार निर्देशित करते हुये लिपिक वर्गीय कार्मिकों के स्थायीकरण हेतु वांछित अभिलेख 31 जनवरी 2023 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि कार्मिकों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
22/12

(वी0 एस0 रावत)
अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

क्रमशः-2

पृ०सं०/ सेवा०/ [illegible] / 38(5)/विविध/2022-23 दिनांक [illegible]।

प्रतिलिपि — निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गढ़वाल मण्डल।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मा०शि०, गढ़वाल मण्डल।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, गढ़वाल मण्डल।
11. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल (द्वारा सम्बन्धित जि०शि०अधि०, मा०शि०)
12. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल (द्वारा सम्बन्धित जि०शि०अधि०, प्रा०शि०)
13. अध्यक्ष / सचिव, एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफिसर्स एसोसियेशन, गढ़वाल मण्डल।
14. कार्यालय पत्रावली।

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक,प्रा०शि०
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।